संख्या:-11/2023/114/38-4-23-123(विविध)/2017 टी0सी0-1

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक: 11 अप्रैल, 2023

विषय:-मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-231/वि0का0/मु0मं0आ0यो0-ग्रा0/2022-23, दिनांक-17.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बोक्सा जनजाति को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 02.02.2018 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-3.3 में वनटांगिया/मुसहर/सहरिया/कोल/थारू/नट/चेरो/पछइया लोहार/गढ़इया लोहार/बैगा(अनुसूचित जनजाति, जनपद-सोनभद्र) वर्ग के साथ पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02.02.2018, सपठित शासनादेश संख्या-04/2019/80/38-4-19-123(विविध)/2017, दिनांक 04.02.2019, सपठित शासनादेश संख्या-09/2021/150/38-4-21-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 18.03.2021, सपठित शासनादेश संख्या-19/2021/240/38-4-2021-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 25.06.2021, सपठित शासनादेश संख्या-44/2021/671/38-4-2021-123(विविध)/2017, दिनांक 27.12.2021 एवं सपठित शासनादेश संख्या-16/2022/225/38-4-22-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 20.09.2022 द्वारा कतिपय वर्ग/समुदाय/जातियों/जनजातियों को योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में सम्मिलित किया गया है।

3. उपर्युक्त शासनादेशों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02.02.2018 द्वारा निर्धारित पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-3.3 में निम्नलिखित श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

"प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बोक्सा जनजाति के ऐसे परिवार, जो आवासविहीन/कच्चे/जर्जर आवास में निवास कर रहे हैं।"

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या-11/2023/114(1)/38-4-23, तद्दिनांक

उपर्यक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
(2) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0।
(3) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0
(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(5) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(10) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(11) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(12) समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
(13) निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0।
(14) समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
(15) गार्ड फाइल।

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in